नवादा जिला के श्री सुशील कुमार द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने पर राष्ट्रीय उच्च पथ के लिए अधिगृहित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त हुआ

श्री सुशील कुमार, ग्राम-मियां बिगहा, प्रखंड-नारदीगंज, जिला-नवादा की पारिवारिक भूमि राष्ट्रीय उच्च पथ-82 के प्रयोजन से अर्जित की गयी, परन्तु भू-अर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी रहने के कारण उनके द्वारा दिनांक-30.06.2021 को जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा में मुआवजा राशि के भुगतान के लिए परिवाद दायर किया गया।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा के द्वारा लोक प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,नवादा को नोटिस निर्गत किया गया और परिवाद का निवारण करने का निदेश दिया गया।

दिनांक-16.09.2021 की सुनवाई में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवाद से संबंधित मामले में भू-अर्जन की मुआवजा राशि की स्वीकृति दे दी गयी है। परिवादी द्वारा भी मुआवजा राशि के रूप में रूपए 1,21,477.00 का भुगतान प्राप्त हो जाने की पुष्टि की गई। लोक शिकायत निवारण कानून के माध्यम से बहुत ही सहूलियत से काम हो जाने के लिए उन्होंने बिहार सरकार की इस व्यवस्था का बहुत-बहुत धन्यवाद दिया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज कर समाधान पाना बहुत ही आसान है

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003456284 पर कॉल करें या वेबसाइट http://lokshikayat.bihar.gov.in/ पर जाएं